

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जायल (नागौर)

लोक अदालत/कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत- डिडियाकामां
पीठासीन अधिकारी-सुरेन्द्र प्रसाद (आर.ए.एस)

आदेश

राजस्व लोक अदालत अभियान
व्याय आपके द्वार-2018

मु.स. 277/2018

आदेश दिनांक 27.06.2018

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती का प्रार्थना पत्र अधीन धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956 का प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत कराये गये दस्तावेज के आधार व तहसीलदार जायल द्वारा की गई जांच रिपोर्ट मय अभिशंषा के आधार पर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम डिडिया खुर्द तहसील जायल जिला नागौर की जमाबंदी खाता सं.224.....संवत् 2069-2072 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिए जाते हैं :-

क्र सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1.	डिडिया खुर्द	224	पपुड़ी पुत्री वाहरराम	पपुड़ी पाल्नि अनोपशम



उपखण्ड अधिकारी
जायल डिडियाकामां

दिनांक : 27.06.2018

क्रमांक : 2018/776-77

प्रतिलिपि:

1. तहसीलदार जायल, को भेजकर आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाएँ।
2. प्रार्थी पपुड़ी पाल्नि अनोपशम सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली ।

उपखण्ड अधिकारी
सुरेन्द्र प्रसाद
जायल, जिला नागौर
उपखण्ड अधिकारी जायल